कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 162/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

☐ ***साइबर सेल आजमगढ़ की त्वरित कार्रवाई से ₹4,00,000/- की ठगी गई धनराशि वापस***
☐ ***बैंक व तकनीकी समन्वय से पीड़ित को मिली बड़ी राहत***
☐ ***साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु पुलिस की महत्वपूर्ण अपील जारी***

आजमगढ़। जनपद पुलिस की सक्रियता एवं साइबर सेल की तत्पर कार्यवाही से एक साइबर फ्रॉड पीड़ित को बड़ी राहत मिली है।

दिनांक 20.02.2026 को आवेदक *केहर सिंह यादव निवासी ग्राम दुबकी, पोस्ट तोवा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़* के बैंक खाते से बिना जानकारी के अनधिकृत लेनदेन होने लगे। जानकारी होने पर आवेदक तत्काल बैंक पहुंचे, जहां से उन्हें साइबर सेल से संपर्क करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर सेल टीम द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बैंक नोडल अधिकारियों, भुगतान गेटवे एवं अन्य संस्थाओं से त्वरित समन्वय स्थापित किया गया। तकनीकी एवं विधिक कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की गई धनराशि को तत्काल होल्ड कराया गया।

साइबर सेल एवं बैंक के संयुक्त प्रयासों से आवेदक के खाते से निकली सम्पूर्ण धनराशि ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) सफलतापूर्वक वापस कराई गई, जिससे पीड़ित को बड़ी राहत मिली। आवेदक द्वारा जनपद पुलिस एवं साइबर टीम का आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवाही करने वाली साइबर टीम:

उ0नि0 रवि कुमार गौतम
हे0का0 ओमप्रकाश जयसवाल
का0 राहुल सिंह
का0 सत्येन्द्र यादव
का0 श्यामकुमार साहनी

साइबर सुरक्षा हेतु जन-जागरूकता अपील:

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड/ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें।

सावधानियाँ:

- OTP, CVV, ATM PIN, UPI PIN किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान लिंक/एप डाउनलोड करने से बचें।
- स्क्रीन शेयरिंग ऐप (AnyDesk, TeamViewer आदि) अनजान व्यक्ति के कहने पर इंस्टॉल न करें।
- सोशल मीडिया/WhatsApp पर निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब एवं KYC अपडेट के नाम पर आने वाले संदेशों से सतर्क रहें।
- बैंक/पुलिस/सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने वालों की पहचान सत्यापित करें।

प्रेस नोट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 30.04.2026

□ जान से मारने की नियत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□ घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा (आला जुर्म) बरामद
□ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी दबोचा गया

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला जुर्म बरामद किया गया है।

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 29.04.2026 को वादी *प्रताप चौहान पुत्र स्व0 जीता निवासी ग्राम लाडो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़* द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 28.04.2026 की रात्रि में उनके पुत्र जसवन्त चौहान (उम्र 23 वर्ष) को गांव में आयी बारात से वापस लौटते समय आलोक चौहान व उसके पट्टीदारों द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से लाठी से सिर पर प्रहार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। घायल को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय एवं बाद में हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 161/26 धारा 3(5), 352, 351(3), 115(2), 109(1) बीएनएस बनाम नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 30.04.2026 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में थे, तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त विश्राम चौहान ग्राम बनकट स्थित बलिया मोड़ पर मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को घेराबंदी कर समय करीब 08:10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

विश्राम चौहान पुत्र सतई निवासी ग्राम लाडो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 59 वर्ष

बरामदगी:

➡ 01 अदद लकड़ी का डंडा (आला जुर्म), जिस पर खून के निशान पाए गए

पूछताछ/अपराध का तरीका:

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया तथा बताया कि उसने लकड़ी के डंडे से प्रहार कर जसवन्त चौहान को घायल किया था। घटना के बाद डंडा ग्राम गढ़वल के सिवान स्थित गन्ने के खेत में फेंक दिया था, जिसे अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 161/26 धारा 3(5), 352, 351(3), 115(2), 109(1) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:

उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह का0 आनन्द यादव व का0 रामकेवल पासवान, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रेस नोट, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 30.04.2026

□ जान से मारने की नियत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□ घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद
□ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी दबोचा गया

आजमगढ़। जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना का विवरण:

दिनांक 28.04.2026 को वादी *यजुवेन्द्र यादव पुत्र स्व0 शिवमूरत यादव निवासी ग्राम ईशापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़* द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि अभियुक्त कमलेश पुत्र दूधनाथ द्वारा बच्चों को डांटने के विवाद को लेकर वादी की मां के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से सिर पर वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 156/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 30.04.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र दूधनाथ निवासी ग्राम ईशापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को बीएसएनएल ईशापुर पोखरा के पास से समय करीब 12:07 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार अपराध का बोध कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

कमलेश पुत्र दूधनाथ निवासी ग्राम ईशापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:

➡ 01 अदद डंडा (आला जुर्म)

पूछताछ का विवरण:

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया तथा अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए बताया कि वह अपनी सफाई माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 156/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार
2. का0 नीरज यादव थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 30.04.2026

□ जान से मारने की नियत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□ घटना में प्रयुक्त बाँस का डंडा बरामद
□ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी दबोचा गया

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहनगर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 27.04.2026 को वादी *जगदम्बा सिंह पुत्र स्व0 सुरेश सिंह निवासी ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़* द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि उनके पोते को पड़ोसी सन्नी द्वारा गाली-गलौज व धमकी दी गई। विरोध करने पर सतानन्द प्रजापति व उसके परिजन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडा, लोहे की पाइप व ईंट से हमला कर दिया गया, जिससे वादी व उनकी बहन घायल हो गईं। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 133/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस बनाम नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 30.04.2026 को उ0नि0 आदिल खान मय हमराह पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त *संदीप प्रजापति पुत्र सतानन्द प्रजापति निवासी ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़* को गौरा मोड़ स्थित राइस मिल के पास से समय करीब 11:57 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बाँस का डंडा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

संदीप प्रजापति पुत्र सतानन्द प्रजापति निवासी ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:

➡ 01 अदद बाँस का डंडा (आला जुर्म)

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 133/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:

उ0नि0 आदिल खान मय हमराह का0 आकाश गौड़ व रि0का0 शिवम दुबे, थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 30.04.2026

□ *गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*
□ *घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल व कारतूस बरामद*
□ *पुलिस की सक्रियता से आरोपियों को दबोचा गया*

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दीदारगंज पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त आला जुर्म बरामद किया गया है।

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 27.04.2026 को वादी *छोटेलाल गुप्ता पुत्र स्व0 वशी गुप्त निवासी ग्राम डीह कैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़* द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभियुक्त आक्रोश गुप्ता द्वारा पिस्टल से फायर कर उनके नाती सत्यम गुप्ता को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 74/26 धारा 109(1), 61(2) बीएनएस व 3/25/30A एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्त ऋषिकेश मिश्रा व सुरज गुप्ता का नाम भी प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 30.04.2026 को वरिष्ठ उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त *आक्रोश गुप्ता* को समय करीब 07:30 बजे शेखवलिया मोड़ तथा प्रकाश में आए अभियुक्त *ऋषिकेश मिश्रा* को समय करीब 11:04 बजे सिसवारा मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. आक्रोश गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता निवासी ग्राम डीह कैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष
2. ऋषिकेश मिश्रा पुत्र स्व0 वंशराज मिश्रा निवासी ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी:

➡ 01 अदद लाइसेंसी पिस्टल .32 बोर

➡ 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

➡ 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर

(बरामदगी अभियुक्त आक्रोश गुप्ता की निशानदेही पर ग्राम डीह कैथौली नहर के पास झाड़ियों से की गई)

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 74/26 धारा 109(1), 61(2) बीएनएस व 3/25/30A एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:

1. व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह
2. हे0का0 रामदीन
3. का0 विरेन्द्र कुमार सरोज थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़